न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 45/2023 बउनवानी मनोज कुमार जैन बनाम लो.सू.अधि.एवं अति0जिला कलेक्टर स0मा0 नि0 नेहा विला महावीर मार्ग बौंली, उपजिला कलेक्टर/तहसीलदार बौंली

GCMS No-2023/88

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
31.8.2023	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर स0मा0/उपजिला कलेक्टर/तहसीलदार बौंली की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 16.4.2023 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर स0मा0/उपजिला कलेक्टर/तहसीलदार बौंली के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:– 1. ग्राम रवासा पटवार हल्का बांस टोरडा तहसील बौंली जिला सवाईमाधोपुर के गत ख.न.19/1 के नवीन ख0न 50/824 श्रीमति शर्मिला जैन,50/825 श्रीमति प्रेमलता जैन, 50/826 श्रीमति प्रीति जैन, सभी निवासी बौंली की 1–1 बीघा भूमि एवं 50/827 श्रीमति चांद देवी रूरल डवलपमेंट एण्ड सोशल वेलफेयर सोसायटी बौंली 7 बीघा भूमि की डीआईएलआरएमपी योजनान्तर्गत सेग्रीगेशन के तहत गलत तरमीम करने बाबत पटवार हल्का गिरदावर हल्का एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत पत्रावली में शामिल दस्तावेजों की प्रमाणित नकल 4 प्रति में उपलब्ध करानी है। 2. ग्राम रवासा में सेटलमेंट के बाद भू अभिलेख विभाग जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा तहसीलदार बौली को राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस, इत्यादि किस दिनांक को किस पत्र संख्या के आधार पर उपलब्ध करवाया गया तहसील कार्यालय में कब प्राप्त हुआ? रवासा ग्राम का सेटलमेंट का रिकार्ड पटवारी द्वारा कब से लागू किया गया? उक्त सभी पत्र व्यवहार एवं सभी दस्तावेजात की प्रमाणित प्रति। 3. गत ख0न0 19/1 खाता संख्या 135 राधेश्याम पुत्र किस्तूरचन्द का नामा0 संख्या 281 दिनांक 26.1.1981 (आवंटन दिनांक 24.5.1966) जिसमे पृष्ठ भाग मे तरमीम हो रही है उक्त नामा0 की 4 प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवायी जावे। 4. ग्राम रवासा के गत ख0न0 19/1 में शर्मिला, प्रीति, प्रेमलता, श्रीमति चांददेवी सोसायटी की 10 बीघा भूमि की जॉच माननीय लोकायुक्त महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से 2010 मे प्रारम्भ करवायी गयी थी। उसमे लोकायुक्त महोदय, मुख्यमंत्री महोदय को जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी उस रिपोर्ट के समस्त पत्र व्यवहार की प्रमाणित प्रति 4–4 प्रतियॉ। 5. तहसीलदार भू0अभिलेख बौंली के पत्रांक 560दिनांक 18.9.2012 द्वारा भूप्रबंध अधिकारी टोंक को भिजवाये गये दस्तावेजो की तीन प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे। जिसमें गत पटवार लटटा के ख0न0 19/1 जिसमे शर्मिला, प्रीति, प्रेमलता, श्रीमति चांददेवी सोसायटी की तकासमा तरमीम हो रही है। नक्शा ट्रेस 4 प्रति में उपलब्ध करावे। 6. भू प्रबंध अधिकारी टोंक के द्वारा तहसीलदार बौली को सम्बोधित पत्रांक 15.4.2012/2243 दिनांक 18.9.2012 की मय संलग्नक चार प्र0प्रतिया उपलब्ध करावें। 7. तहसीलदार भू0अ0 बौंली द्वारा उपजिला कलेक्टर बौली को प्रेषित पत्रांक 2055 दिनांक 9.5.2019 एवं न्यायालय उप जिला कलेक्टर बौंली द्वारा प्रेषित पत्रांक 1686 दिनांक 26.7.2019 के सभी पत्रों की 4–4 प्रमाणित प्रतियॉ उपलब्ध करावे। 8. तहसीलदार भू0अ0 बौंली द्वारा जिला कलेक्टर को प्रेंषित पत्रांक 433 दिनांक 8.9.2011 एवं पटवार गिरदावर पटवार हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट सहित सभी पत्र व्यवहार की 4–4 प्रमाणित प्रतियॉ। 9. प्रार्थी द्वारा ग्राम रवासा के सेंटलमेंट से पूर्व के गत ख0न0 19/1 में शर्मिला,प्रीति, प्रेमलता श्रीमति चांददेवी सोसायटी की 10 बीघा भूमि [illegible] लटठा मूल कपडे पर की गयी तकासमा, तरमीम, कपडे पर अंकित पटवारी, गिरदा[illegible] तह[illegible]दार बौंली की सभी रिपोर्ट की 4–4 प्रमाणित प्रतियॉ। 10. तहसीलदार भू0अ0बौंली के पत्रांक [illegible] पत्रांक 2055 दिनांक 9.5.2019 मय सभी संलग्नक, उप जिला [illegible] पत्रांक 659 दिनांक 27.3.2019, 1686 दिनांक 26.7.2019 की 4–4 प्रमाणित प्रतियॉ। 11. राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायत नम्बर 08181364147362 बाबत पटवारी हल्का द्वारा 5.4.2019 को तहसीलदार बौंली को प्रस्तुत रिपोर्ट 4–4 प्र0प्रतियो में। 12. लोकायुक्त जॉच में तहसीलदार भू0अ0 बौंली के पत्रांक 204 दिनांक 8.1.2019 बाबत पटवारी हल्का बांस टोरडा द्वारा 25.2.2019 को बांस टोरडा द्वारा दिनांक 25.2.2019 को दो अलग–अलग

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:41:43 IST
Reason: Self Attested

Scanned with OKEN Scanner

रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है जिसमे साबिक नक्शा व नवीन नक्शा बना हुआ है उन सभी पत्राचार सहित रिपोर्ट की 4–4 प्रतियॉं।

13. तहसीलदार बौंली कार्यालय मे संघारित रिसीप्ट रजिस्टर की 22.2.2023 से 28.3.2023 तक के रजिस्टर की सत्यापित प्रतिलिपि एक प्रति में।
14. प्रार्थी द्वारा दिनांक 22.2.2023 से 1.4.2023 तक तहसीलदार बौंली की सेवाये प्रस्तुत पत्रों मय दस्तावेजो की प्रमाणित एक प्रति
15. सेंटलमेंट पूर्व राजस्व रिकार्ड पटवार लटठा में हो रही तरमीम को सेटलमेंट द्वारा बदली जा सकती है या नही , राज्य सरकारके दिशा निर्देश नियम की प्रति उपलब्ध करावे।
16. राजस्व रिकार्ड में वर्णित नियमों के आधार पर सह खातेदार की परिभाषा के नियमों की प्रति उपलब्ध करानी हैं
17. न्यायालय में विवादित भूमि में सीमाज्ञान,तकासमा,तरमीम किये जाने के क्या प्रावधान है? क्या विवादित भूमि में सीमाज्ञान,तकासमा, तरमीम की जा सकती है? नियमों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर स0मा0/उपजिला कलेक्टर/तहसीलदार बौंली द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर स0मा0/उपजिला कलेक्टर/तहसीलदार बौंली को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ किन्तु जरिये डाक अपनी आपत्ति दिनांक 20.7.2023 को प्रेषित कर निवेदन किया कि दोनो लोक सूचना अधिकारियो द्वारा अपीलान्ट को किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस क्रमांक/ सूकाअ/2023/2431 दिनांक 26.07.2023 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 19.4.2023 के बिन्दु संख्या 1 लगायत 18 मे चाही गयी सूचना में से बिन्दु संख्या 1 का संबंध उपजिला कलेक्टर बौली के कार्यालय से होने बिन्दु संख्या 2,4 की सूचना प्रश्नात्मक एवं चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है तथा बिन्दु संख्या 3 की सूचना प्रभारी अधिकारी भू0अ0 द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। तथा बिन्दु संख्या 5 लगायत 17 की सूचना का संबंध तहसीलदार बौंली से संबंधित है। लोक सूचना अधिकारी उपजिला कलेक्टर बौंली ने अपने पत्रांक 5442 दिनांक 14.8.2023 से अवगत करवाया कि बिन्दु संख्या एक की सूचना साधारण नियम सिविल 1986 की धारा 218 के तहत आवेदन पत्र पेश करने पर उपलब्ध करवायी जा सकती है। तहसीलदार बौली द्वारा जरिये पत्रांक 3198 दिनांक 11.8.2023 से बिन्दु संख्या 11 व 13 को छोडकर बिन्दु संख्या 5 लगायत 18 की सूचना तथा पत्रांक 216 दिनांक 31.8.2023 से बिन्दु संख्या 11 व 13 की सूचना उपलब्ध करवायी जा चुकी है। अतः अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट को बिन्दु संख्या 5 लगायत 18 की सूचना तहसीलदार बौंली तथा बिन्दु संख्या 3 की सूचना प्रभारी अधिकारी भू0अ0 अनुभाग द्वारा अपीलान्ट को करवायी जा चुकी है,बिन्दु संख्या 2 व 4 की सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक नही है। बिन्दु संख्या 1 की सूचना उपजिला कलेक्टर बौंली द्वारा उपलब्ध नही करवायी गयी है। अतः उपजिला कलेक्टर बौंली को निर्देशित किया जाता है कि बिन्दु संख्या 1 की सूचना अपीलान्ट को सूचना [illegible] अधिनियम के तहत 7 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध करवायी जावे। चूंकि अपीलान्ट को [illegible] सूचना अधिनियम की तय सीमा के उपरान्त उपलब्ध करवायी गयी है। अतः लोक सूचना अधिकारी [illegible] निर्देशित किया जाता है कि भविष्य मे उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना [illegible] प्राथमिकता से व्यक्तिगत ध्यान देकर अधिनियम की तय समय सीमा [illegible] उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अंभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:41:43 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner